न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज/एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो), देहरादून
उपस्थितः मँजु सिंह मुंडे, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
निर्णय का दिनांक 09–06–2026
सत्र परीक्षण संख्याः 152 सन् 2023
मु0अ0सं0–445/2023
अंतर्गत धारा 376 भा0दं0सं0
थाना–पटेलनगर, देहरादून।

परिवादी	**उत्तराखण्ड राज्य**
राज्य की ओर से	**सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) श्री किशोर कुमार।**
बनाम	
अभियुक्त	**विमल थापा पुत्र श्री प्रेम सिंह थापा, निवासी–चोनदुंगरी अल्मोडा, ग्राम–डुगालखोला, अल्मोडा, जिला अल्मोडा।**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री बी0 डी0 झा

Date of offence-	02–06–2023 के पश्चात
Date of FIR-	19-08-2023
Date of Chargesheet-	27-10-2023
Date of framing of charges-	14-12-2023
Statement of Accussed on Substance of accusation under section 251CRPC-	
Date of commencement of evidence-	18-01-2024
Date on which Judgement is reserved-	30-05-2026
Date of Judgement-	09-06-2026
Date of Sentencing order if any-	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted of Convected	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC
1–	विमल थापा	22–09–2022	28–08–2024	धारा–376 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त		

निर्णय

दिनांकः 09–06–2026

अभियुक्त विमल थापा के विरूद्ध थाना पटेलनगर जिला देहरादून द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 445/2023 धारा–376 भा0दं0सं0 के

Additional District & Sessions Judge/
FTSC (POCSO)
Dehradun.

shoneekanoor.com

अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट देहरादून द्वारा दिनांक 27–10–2023 को संज्ञान लिया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादिनी मुकदमा/ पीडिता के द्वारा थाना पटेलनगर जिला देहरादून में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की दी गयी कि "निवेदन है कि विमल थापा निवासी हल्दवानी ग्राम डुबालखोला अल्मोडा के द्वारा मेरे साथ विवाह किया गया तथा बाद में ज्ञात हुआ कि वह पूर्व से ही शादीशुदा है जिसका एक पुत्र भी है तथा उसके द्वारा झूठ बोलकर व तथ्य छुपाकर मेरे साथ शोषण किया गया। महोदय प्रार्थिनी एक विधवा महिला है तथा मेरे एक पुत्री व एक पुत्र है। प्रार्थिनी का कोई घर व व्यवसाय नहीं है। प्राथिनी किराये के मकान में रहकर तथा फैक्ट्री इत्यादि में मजदूरी कर अपना व अपने बच्चो का भरण व पोषण मुश्किल से कर पा रही थी। इसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा जीवन में आगे बढने तथा पुर्नविवाह करने के दृष्टिगत शादी–डाट–काम के माध्यम से नवजीवन साथी ढूढंने के प्रयास किये गये। तब विमल थापा द्वारा उपरोक्त वेबसाईट पर मुझसे संपर्क किया गया तथा यह बताया गया कि वह अविवाहित है तथा पारिवारिक कारणो से विवाह नही हो पाया है और वह आर्मी से रिटायर होकर डीएसई बिकानेर राजस्थान में नौकरी कर रहा है और अपना पैतृक आवास हल्दवानी बताया है। इसके बाद वह निरंन्तर 18 अप्रैल 2023 से संपर्क में रहा जिसके उपरान्त उन्होने ट्रेन की टिकट करवाकर अपने पास बिकानेर 2 जून 2023 को बुलवाया तब उसके बाद वह मुझे व मेरे बच्चो को अपने साथ देहरादून लेकर आया जिसके बाद डाट काली का मंदिर उत्तर प्रदेश की सीमा में मेरे साथ मांग में सिंदूर भरकर शादी की। उसके बाद यह भी कहा गया कि देहरादून पहुंचकर कोर्ट में शादी करेगें तब तक मैं तुम्हारे साथ देहरादून में ही रहूंगा। देहरादून आकर वह करीब 15 दिन हमारे किराये के मकान में ही रहे और विमल थापा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध यह कहकर बनाये कि वे मुझसे मंदिर में शादी कर चुके है। इसके बाद वह 6 अगस्त 2023 को पुनः छुटटी लेकर हमारे पास आए और फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये मैने जब विमल थापा से कोर्ट मैरीज करने को कहा तो उन्होने बात को टाल दिया और 13 अगस्त को अपने घर हल्दवानी चले गये और कहा कि मैं 17 अगस्त को वापस आ जाउंगा और कौर्ट मैरीज कर लूंगा परन्तु उस दिन के बाद से विमल थापा ने अपना मोबाईल फोन स्विच आफ कर

shonekapoor.com

लिया। इसके बाद जब इनकी फेसबुक प्रोफाईल चैक की तो पता चला कि विमल थापा पहले से ही शादी शुदा है और उनका एक पुत्र भी है। फिर 14 अगस्त को मुझे विमल थापा की पत्नी का अलग–अलग नम्बरो से फोन आया और मुझे धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा। महोदय विमल थापा द्वारा मेरा शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया गया है और वह आप को अविवाहित बताते हुए व मंदिर में मेरी मांग भरकर शादी का आश्वासन देकर कई बार मेरा शारीरिक शोषण किया गया। अतः निवेदन है कि विमल थापा के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

3– उक्त तहरीर प्रदर्श पी–1 के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना पटेलनगर जिला देहरादून में मुकदमा अपराध संख्या 445/2023 अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। कायमी मुकदमें का इन्द्राज सामान्य दैनिकी में किया गया।

4– मामले की विवेचना एस0 आई0 मोनिका मनराल द्वारा की गई। दौराने विवेचना विवेचक ने बयानात गवाहान लिये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गिरफ्तारी मीमो/सूचना मीमो तैयार किये गये तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड़ प्रकिया संहिता अंकित कराये गये। घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी बनाया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष व अभियुक्त को सुनने के पश्चात् आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार पाते हुए दिनांक 14–12–2023 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>मौखिक साक्ष्य अभियोजन</u>

6– अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0–1 पीडिता पी0 डब्लू0–2 पीड़िता की पुत्री, पी0डब्लू0–3 पीडिता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता डाक्टर मेघना असवाल पी0डब्ल0–4 पीडिता की मकान मालिक पी0डब्लू0–5 कान्स0 प्रवीन गुंसाई, पी0डब्लू0–6 एस0आई0 मोनिका मनराल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

shoneekapoor.com

7— अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः—

Rank	Name	Nature of Evidence
पी0डब्लू0—1	पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0—2	पीड़िता की पुत्री	तथ्य की साक्षी
पी0डब्लू0—3	पीडिता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता डाक्टर मेघना असवाल	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
पी0डब्लू0—4	पीडिता की मकान मालिक	तथ्य की साक्षी
पी0डब्लू0—5	कान्स0 प्रवीन गुंसाई	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0—6	एस0आई0 मोनिका मनराल	विवेचक

मौखिक साक्ष्य बचाव पक्ष

8— अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9— न्यायालय साक्षी— कोई नहीं।

दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन

10— उक्त साक्षीगणों द्वारा निम्नलिखित अभियोजन दस्तावेजों को साबित किया गयाः—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी—1/पी0डब्लू0 1	तहरीर
2.	प्रदर्श पी—2/पी0डब्लू0 1	पीडिता के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान
3.	प्रदर्श—3/पी0डब्लू0 1	धारा 65बी का सर्टिफिकेट
4. 5.	प्रदर्श पी—4/पी0डब्लू0 3 प्रदर्श पी—5/पी0डब्लू0 3	चिकित्सीय रिपोर्ट सपलीमेन्ट्री रिपोर्ट
6. 7.	प्रदर्श पी—6/पी0डब्लू0—5 प्रदर्श पी—7/पी0डब्लू0—5	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी मुकदमा जी0डी0
8.	प्रदर्श पी—8/पी0डब्लू0—6	पीडिता ,के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकित करने का प्रार्थना पत्र
9.	प्रदर्श पी—9/पी0डब्लू0—6	पीडिता ,के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान का अवलोकन करने का प्रार्थना पत्र
10.	प्रदर्श पी—10/पी0डब्लू0—6	नक्शा नजरी
11.	प्रदर्श पी—11/पी0डब्लू0 6	गिरफतारी व सूचना मेमो
10.	प्रदर्श पी—12 पी0 डब्लू0—6	फर्द
11.	प्रदर्श पी—13/पी0डब्लू0—6	आरोप पत्र

दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण

11— बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

shorekapoor.com

12– न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श – कोई नहीं।

13– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार कर उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलने एवं स्वयं को निर्दोष बताते हुए कथन किया गया कि– मैं निर्दोष हूॅ।

14– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त विमल थापा पर आरोप है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को स्वयं को अविवाहित बताकर उसको शादी का झांसा देकर तथा उसकी मांग में सिंदर भरकर मंगलसूत्र पहनाकर कोर्ट मैरिज का आश्वासन देकर उसके साथ बलात्कार किया।

15– न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना गया एंव पत्रावली पर उपलब्द्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

16– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत मामले में निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न उत्पन्न होते है।

17–<u>अवधार्य प्रश्न</u>

क्या अभियुक्त द्वारा पूर्व से विवाहित होते हुए पीडिता से स्वयं को अविवाहित बताकर दिनांक 02–06–2023 के पश्चात डाट काली मंदिर में पीडिता की मांग भरकर विवाह किया और उसके पश्चात पीडिता के साथ उसके किराये के मकान में कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाये ?

18– इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के समर्थन में अभियोजन गवाह पी0 डब्लू0–1 पीडिता पी0 डब्लू0–2 पीड़िता की पुत्री, पी0डब्लू0–3 पीडिता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता पी0डब्लू0–4 पीडिता की मकान मालिक, पी0डब्लू0–5 कान्स0 प्रवीन गुंसाई तथा पी0 डब्लू0–6 एस0 आई0 मोनिका मनराल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

19– पी0डब्लू0–1 पीडिता ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि– अभियोजन साक्षी संख्या 1 पीडिता ने अपने बयानों में सशपथ कथन किया कि– मेरी उम्र 37 वर्ष है। मेरे पूर्व पति का वर्ष 2022 में देहान्त हो गया था। उनसे मुझे एक बेटा तथा एक बेटी है। मैं एक फैक्ट्री में काम करके अपना और अपने बच्चो

shoneekapoor.com

का भरण पोषण कर रही थी। मैनें अप्रैल 2023 में अपना पुनःविवाह करने के लिये शादी डाट काम में अपना बायोडाटा दिया था । तब अभियुक्त विमल थापा ने अपना नाम योगेश थापा दर्शाते हुए तथा अपने को अविवाहित दिखाते हुए शादी डाट काम में अपना बायोडाटा विवाह हेतु अपलोड किया था। विमल थापा ने मुझे दि0 18.04.2023 में उक्त वेबसाइट पर मुझसे सम्पर्क किया। वेबसाइट के माध्यम से ही अभियुक्त ने मुझसे बात की और बताया था कि वह अविवाहित है और पारिवारिक कारणों से उसका विवाह नही हो पाया है। अभियुक्त ने यह बताया था कि वह आर्मी से रिटायर होकर डी0एस0सी0 बिकानेर में नौकरी कर रहा है। अभियुक्त ने अपने को हल्द्वानी का मूल निवासी बताया था। बाद में मुझे जानकारी हुयी कि अभियुक्त का नाम योगेश नही विमल थापा है क्योकि वीडियो कॉल में मैनें उसकी नेम प्लैट में अभियुक्त का नाम विमल थापा अंकित था। मैनें विमल थापा के कुछ डाक्यूमेंट जैसे डी0एल0 व आई0डी0 कार्ड में भी अभियुक्त का नाम विमल थापा था। फिर अभियुक्त ने मुझसे मेरे बच्चो से मिलने व शादी करने के लिये हमे बिकानेर बुलाया। अभियुक्त ने ट्रेन के टिकट हमे भेजे थे दि0 02.06.2023 को हम हरिद्वार से बिकानेर के लिये ट्रेन में बैठे थे। अगले दिन सुबह 11:00बजे विमल थापा हमको कार से लेने रेलवे स्टेशन आया था। अभियुक्त ने हमें बिकानेर घुमाया व एक होटल में ठहराया था। अभियुक्त ने देहरादून जाते वक्त जब कोई मन्दिर रास्ते में पडेगा तो हम वहां शादी करेंगें। अभियुक्त ने शादी का वादा करके बिकानेर होटल में अलग कमरा लेकर मुझसे शारीरिक सम्बन्ध बनाये। दि0 04.06.2023 को हम अभियुक्त के साथ अभियुक्त की कार से देहरादून के लिये चले। फिर रास्ते में दरगाह काली माता मन्दिर जोकि धरमावाला के पास है मन्दिर में ले जाकर अभियुक्त ने मेरी मांग भरी व मंगलसूत्र पहनाया और कहा कि हमारी शादी हो गयी है। अगली बार छुटटी आने पर कोर्ट मैरिज करूंगा। फिर अभियुक्त हमारे साथ हमारे कमरे पर ही पन्द्रह दिन रहा और मेरे साथ शादी होने का बहाना लेकर मेरे साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। फिर अभियुक्त दि0 18.06.2023 को वापस अपनी डयूटी चला गया। फिर 06.08.2023 को छुटटी लेकर आया और मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये। मैनें अभियुक्त को कोर्ट मैरिज करने के लिये कहा लेकिन अभियुक्त टाल गया और कहा कि गांव से आकर कोर्ट मैरिज करूंगा।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 पीडिता ने आगे अपने बयानों में सशपथ कथन किया कि–फिर दि0 14.08.2023 को अभियुक्त की पत्नी मल्लिका थापा की मेरे पास फोन व मैसेज द्वारा धमकी दी गयी कि तुमने मेरे पति से शादी कर ली है। तो मैनें अभियुक्त की फेसबुक आई0डी0 चेक करी तो पता चला कि अभियुक्त पहले से

shoneekapoor.com

शादीशुदा है उसका एक बच्चा है और उनकी फोटो फेसबुक पर लगी थी। तब मुझे पता चला कि अभियुक्त शादीशुदा है। अभियुक्त ने मुझसे यह बात छुपायी थी और शादी डाट काम पर भी अभियुक्त ने अपने को अविवाहित दर्शाया था। दि0 17.08.2023 को मेरे पास अभियुक्त का फोन आया और फोन कर अपनी गलती मानी और कहा कि मुझसे गलती हो गयी है तुम क्या चाहती हो मैं शादीशुदा हूं मेरा बच्चा है मैं तुम्हे पत्नी वाला सम्मान नही दे पाउंगा। फिर अभियुक्त ने फोन काट दिया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गयी और दिनांक 19.08.2023 को थाना पटेल नगर पर घटना की रिपोर्ट लिखवायी रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 **3क/4** लगायत **3क/5** है। यह मैनें अपनी बेटी से बोल बोलकर लिखायी थी तथा उसे पढकर उस पर हस्ताक्षर कर थाने में दी थी। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर पहचाने जिन्हे ए से चिन्हित किया गया। तहरीर पर प्रदर्श पी **1/पी.डब्ल्यू.01** डाला गया। मेरा मेडिकल हुआ था। मैनें डाक्टर को घटना बता दी थी। गवाह ने कागज सं0 **12क/1** पर अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा पहचाने जिसे ए से चिन्हित किया गया। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान हुए थे। गवाह ने कागज सं0 **14क/2** दिखाया व पढकर सुनाया गया जिसे देखकर व पढकर गवाह ने कहा कि यह बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिये थे। गवाह ने बयानों पर अपने हस्ताक्षर पहचाने जिसे ए से चिन्हित किया गया। बयानों पर प्रदर्श पी **2/पी.डब्ल्यू. 01** डाला गया। मैनें घटना स्थल दरोगा जी को दिखा दिया था। मैनें एक पेन ड्राइव कब्जे पुलिस दी थी, जिसमे मेरी व अभियुक्त की फोटोग्राफस थी तथा इसके साथ ही मैनें दरोगा जी को 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी दिया था तथा पेनड्राइव देते समय फर्द तैयार की गयी थी जो पत्रावली पर कागज सं0 8क है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है। गवाह ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर पहचाने जिसे ए से चिन्हित किया गया। पत्रावली पर कागज सं0 9क/1 मेरा 65बी का सर्टिफिकेट है। गवाह ने सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर पहचाने जिसे ए से चिन्हित किया गया तथा सर्टिफिकेट पर **प्रदर्श पी 3**/पी.डब्ल्यू. **01** डाला गया। कागज सं0 **9क/2 लगा**यत 9क/7 मेरी तथा अभियुक्त की फोटोग्राफस है जब अभियुक्त ने मेरी मांग भरी थी और मंगल सूत्र पहनाया था। न्यायालय में प्रस्तुत एक सील्ड पीला बंद लिफाफा व एक नमूना मोहर प्रस्तुत हुआ। लिफाफे में सील का नमूना मोहर से मिलान किया गया। दोनो पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर पहचाने। जिन्हे लाल घेरे से चिन्हित किया गया। न्यायालय की अनुमति से पीला सील्ड बंद लिफाफा खोला गया जिसमे से निकली पेन ड्राइव को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही पेन

shoneekapoor.com

ड्राइव है जिसमें मेरे व अभियुक्त के फोटोग्राफस है। पेन ड्राइव पर **वस्तु प्रदर्श एम0** 1/पी.डब्ल्**यू.01** डाला गया तथा पीले लिफाफे पर **वस्तु प्रदर्श एम0 2**/पी.डब्ल्**यू.01** डाला गया। अभियुक्त ने मुझसे शादी करने के उपरान्त मेरे व अपने फोन से उक्त मैट्रीमोनियल प्रोफाइल स्टेटस समेत डिलीट कर दी थी।

प्रति परीक्षा में पी0डब्लू0–1 का सशपथ कथन है कि–घटना से पहले में विवाहित थी। मेरा विवाह 2003 में पूर्व पति अ.... के साथ हुआ था। मेरे पति की तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हो गयी थी। ..... प्रार्थना पत्र कागज सं0 3क/4 लगायत 3क/5 पर कही भी तहरीर देने की दिनांक अंकित नही है। ..... अभियुक्त से मेरा सम्पर्क शादी डाट काम से हुआ था। गवाह को पत्रावली दिखायी गयी जिसे देखकर गवाह ने कहा कि पत्रावली में शादी डाट काम का कोई भी कागज नही लगा है स्वंय कहा कि अभियुक्त ने मेरी और अपनी प्रोफाइल षादी के बाद डिलीट कर दी।..... गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि पूरी पत्रावली पर कहीं भी वेबसाइट सर्म्पक करने की दस्तावेज अंकित नही है। .....मैं बिकानेर में जिस होटल में रूकी थी मुझे उसका नाम ध्यान नही है। होटल के बिल मेरे पास नही है क्याकि अभियुक्त ने उनका भुगतान किया था। .....गवाह को कागज सं0 12क/1 दिखाया गया जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह कहना सही है कि ''हमने सम्बन्ध बनाये'' यह ठीक है। इसमें मेरे हस्ताक्षर भी है। यह कहना सही है कि इसमे 17/8 लिखा है वह सही है। .....विवेचक ने मेरे मोबाइल की कोई भी फर्द नही बनायी थी और ना ही इस मोबाइल को एफ0एस0एल0 भेजा गया था।.....मुझे ध्यान नही है कि दरोगा जी ने मेरे बयान कब लिये थे । मैनें दरोगा जी को अपने अंडर गार्मेन्टस नही दिये थे और ना ही दरोगा जी ने दौराने विवेचना मेरे अंडर गार्मेन्टस मुझसे मांगे थे। गवाह को कागज सं0 9क/2 लगायत 9क/7 दिखाया गया जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह कहना सही है कि किसी भी फोटो में अभियुक्त मेरी मांग नही भर रहा है। यह कहना सही है कि इन सभी फोटो में हाजिर अभियुक्त मुझे मंगलसूत्र नही पहना रहा है। .....गवाह को कागज सं0 14क/2 प्रदर्ष पी 2 दिखाया गया जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह कहना सही है कि मेरे 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान में अभियुक्त ने शादी का वादा किया और बिकानेर के होटल में शारीरिक सम्बन्ध बनाये अंकित नही है ।.....यह कहना सही है कि 25. 05.2023 को हाजिर अभियुक्त ने रू0 500, 05.05.2023 को रू0 1000 व 07.05.2023 को रू0 500, 01.05.2023 को 1000रू0 , 09.05.2023 को रू0 2000, 30.05.2023 को रू0 1000, 01.06.2023 को 10,000 रूपये, 30.06.2023 को रू0 30,000 , 19.06. 2023 को रू0 1000, 23.06.2023 को रू0 400, 06.07.2023 को रू0 2000, 13.05.

shoreekapoor.com

2023 को रू0 1000, 14.05.2023 को रू0 10,000 और 19.05.2023 को रू0 1000 यू0पी0आई0 द्वारा मुझे भेजे थे। यह कहना सही है कि हाजिर अभियुक्त ने मुझे यह पैसे भेजे थे। .....यह कहना सही है कि मैं अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ थी।

20– अभियोजन साक्षी संख्या 2 पीडिता की पुत्री ने अपने बयानों में सशपथ कथन किया कि– मैं पीडिता की पुत्री हूँ। पीडिता मेरी माता है। मेरा एक छोटा भाई भी है। मेरे पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी थी। वर्ष 2023 की बात है मेरी **मम्मी/पीडिता** की किसी से वीडियो कालिंग करती थी। उसके बाद मेरी **मम्मी/पीडिता** ने हमे बताया कि मैं शादी करना चाहती हूं और विमल थापा ने हमे बिकानेर बुलाया था। मैं, मेरी **मम्मी/पीडिता** और मेरा छोटा भाई बिकानेर गये थे। फिर विमल थापा ने कहा कि देहरादून जाकर वह पीडिता से षादी कर लेंगे। देहरादून पहुचंकर डाट काली के मन्दिर में विमल थापा ने मेरी मम्मी से शादी की और उसमें मेरी मम्मी की मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी की। विमल थापा ने हमें यह भी कहा कि अब तुम मुझे अंकल नही पापा कहकर बुलाया करो। उसके बाद विमल थापा हमारे साथ हमारे किराये के मकान में कुछ दिन हमारे साथ ही रहे थे। उसके बाद विमल थापा डयूटी में वापस चले गये थे। उसके बाद विमल थापा ने अपना फोन स्विच आफॅ कर दिया था। हमारे मकान मालिक के घर में रह रहे एक लडके से पता चला कि फेसबुक प्रोफायल द्वारा पता चला कि विमल थापा पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक पुत्र भी है। विमल थापा द्वारा पूछे जाने पर उन्होने बताया कि वह पहले से ही शादी शुदा थे, उसके बाद वह पुनः डयूटी से घर आये फिर वह वापस अपने गांव चले गये थे और विमल थापा द्वारा पूछे जाने पर उन्होने कहा कि तुम अब मुझे भूल जाओ और उन्होने मेरी मम्मी/पीडिता के साथ धोखा किया है। फिर हमने थाना पटेलनगर में विमल थापा के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी थी। रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 **3क/4** लगायत **3क/5** है जो मेरे लेख में है, यह मैनें खुद लिखी थी। इस पर मेरी मम्मी के हस्ताक्षर है। गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर पहचाने। जिन्हे बी से चिन्हित किया गया है। अभियुक्त विमल थापा आज मा0 न्यायालय में हाजिर है। हमारे घर पुलिस आयी थी। कागज सं0 9क/2 लगायत 9क/3 डाट काली की फोटो है। इसमे मेरी मम्मी और विमल थापा दिखायी दे रहे है।

साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया गया है कि– गवाह को कागज सं0 **9क/2** दिखाया गया। यह कहना सही है कि यह फोटो मैनें मोबाइल से खिंची थी। यह कहना सही है कि इसमें हाजिर अभियुक्त द्वारा पीडिता को

Additional District & Sessions Judge/
FTSC (POCSO)
Dehradun.

shoneekapoor.com

मंगलसूत्र पहनाते हुए व पीडिता की मांग भरते हुए फोटो में दर्शित नही हो रहा। विमल थापा के फोन से फोटो खिंची थी।..... गवाह को कागज सं0 9क/2 लगायत 9क/7 दिखाया गया, यह देखकर गवाह ने कहा कि इन फोटो में मन्दिर का पंडित नजर नही आ रहा है और ना ही मेरी मम्मी/पीडिता सात फेरे लेती हुयी अभियुक्त के साथ नजर नही आ रही है।.....यह कहना सही है कि शादी के बाद खुद हमारे घ ार में रहने आये थे। मुझे तारीख ध्यान नही है, वर्ष 2023 था।..... यह कहना सही है कि मैं बिकानेर में होटल में रूकी थी जिसमे मै, मेरा भाई , मेरी मम्मी/पीडिता और विमल थापा साथ थे। मुझे दिनांक ध्यान नही है। होटल का बिल विमल थापा ने पे किया था। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि इस पत्रावली में बिकानेर के होटल का बिल नही है।.....यह बात सही है कि अभियुक्त ने अपना फोन स्विच आफॅ कर लिया था जब वह गांव चले गये थे।.....मुझे नही पता कि हाजिर अभियुक्त मेरी मम्मी/पीडिता को पैसे देते थे , मेरी मम्मी/पीडिता को पता होगा।.....गवाह ने पत्रावली देखकर कहा कि हाजिर अभियुक्त को पीडिता द्वारा वीडियो कालिंग करने का कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर नही है।

21— अभियोजन साक्षी संख्या 3 पीडिता की मेडिकलकर्ता डाक्टर मेघना असवाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पीडिता को चिकित्सीय परीक्षण किया जाना साबित करते हुए पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श पी—4 व सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट को प्रदर्श पी—5 के रूप में साबित किया है तथा कथन किया कि—मैनें पीडिता का मेडिकल परीक्षण करने पर पाया कि पीडिता की बी0पी0 व पल्स सामान्य था। पीडिता द्वारा कपडे बदल लिये गये थे। पीडिता के बाहरी शरीर पर कोई चोट के निषान नही थे। पीडिता का हाईमन पुराना फटा हुआ था। मेरे द्वारा पीडिता की रक्त जांच, यू0पी0टी0 व दो वैजायनल स्वैब की स्लाइड बनाकर जांच हेतु भेजी गयी थी। सभी रिपोर्ट सामान्य थी, यू0पी0टी0 नेगेटिव था और स्लाइड में कोई स्मरमैटोजोवा नही पाया गया। मेरी राय में पीडिता के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नही दी जा सकती।

22— अभियोजन साक्षी संख्या 4 पीडिता की मकान मालिक द्वारा अपने बयानो में सशपथ कथन किया है कि—मैं पीडिता को जानती हूं। पीडिता मेरे मकान में किरायेदार के रूप में वर्ष 2022 के अंत से रहती है। पीडिता के साथ किराये पर पीडिता के दो बच्चे भी आये थे। पीडिता के पति का देहान्त हो चुका था। वर्ष 2023 में पीडिता ने एक आर्मी में काम करने वाले से शादी की बात की थी। वह आर्मी वाला व्यक्ति जिसका नाम विमल थापा है वह पीडिता के कमरे पर आया और दोनों की डाट काली मन्दिर में शादी की थी। अभियुक्त पीडिता के साथ कमरे पर लगभग

shoneekapoor.com

15 दिन रहा अभियुक्त 15 दिन के बाद चला गया था और अभियुक्त की गाडी हमारे घर के पास खडी थी। फिर अभियुक्त एक हफते बाद आया और फिर वह अपनी गाडी लेकर चला गया। फिर अभियुक्त वापस दुबारा नही आया। मेरी अभियुक्त से बातचीत हुयी थी। अभियुक्त ने बताया था कि वह पहले से शादीशुदा नही है।

साक्षी पी0डब्लू0–4 का प्रति परीक्षा में कथन है कि– मैं पीडिता को वर्ष 2022 से जानती हूं, वह मेरे मकान में किराये पर आयी थी। यह कहना सही है कि पीडिता मेरी किरायेदार है।.........पीडिता बिजली का बिल लगाकर रू0 5000 प्रतिमाह किराया देती है। मैं किरायेदार को किराये की रसीद नही देती। ....मुझे पीडिता की शादी वाली बात बतायी थी उसका ना तो मुझे महीना याद है और ना ही वर्ष याद है। स्वंय कहा कि वर्ष 2023 में पीडिता ने अभियुक्त से शादी करी थी। अभियुक्त ने बताया था कि वह फौजी रिटायर है और उसकी शादी नही हुयी है। वर्ष 2023 में बताया था कि पीडिता ने अभियुक्त से शादी की है, दिन और माह नही बता सकती। ....पीडिता की शादी डाट काली मन्दिर में हुयी थी। मैनें अभियुक्त और पीडिता की शादी डाट काली मन्दिर में होते हुए अपनी आंखो से नही देखी।

23– अभियोजन साक्षी संख्या 5 कान्स0 प्रवीन गुंसाई द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 तथा कायमी मुकदमा जी0डी0 प्रदर्श पी–7 के रूप में साबित किया।

24– अभियोजन साक्षी संख्या 6 एस0आई0 मोनिका मनराल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मामले की विवेचना किये जाने, पीडिता के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकित कराने व अवलोकन करने के प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–8 व पी–9, नक्शा नजरी प्रदर्श पी–10, गिरफतारी व सूचना मेमो प्रदर्श पी–11, फर्द प्रदर्श पी–12, आरोप पत्र प्रदर्श पी–13 के रूप में साबित किया गया।

निष्कर्ष

25– जहां तक अभियुक्त द्वारा पूर्व से विवाहित होते हुए पीडिता से स्वयं को अविवाहित बताकर दिनांक 02–06–2023 के पश्चात डाट काली मंदिर में पीडिता की मांग भरकर विवाह करने और उसके पश्चात पीडिता के साथ उसके किराये के मकान में कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने का प्रश्न है, के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध कुल 6 गवाह परीक्षित कराये गये है।

shoneekapoor.com

26– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पीडिता द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनानुसार अभियुक्त से उसका सम्पर्क 18–04–2023 से शादी डाट काम पर हुआ था जहां पर अभियुक्त की प्रोफाईल पिक में उसका नाम योगेश थापा अंकित था और जहां पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को अविवाहित दर्शाया गया था। अभियुक्त 18 अप्रैल 2023 से पीडिता के सम्पर्क में था और वीडियो काल पर बाते करता था। 2 जून 2023 को अभियुक्त ने पीडिता को बीकानेर बुलाया। अभियुक्त रेलवे स्टेशन पर पीडिता को बच्चो सहित लेने आया और एक होटल में रूकवाया। दिनांक 04–06–2023 को काली मां मंदिर में अभियुक्त द्वारा पीडिता की मांग में सिंदूर भरकर उससे विवाह किया और उसके पश्चात लगभग 15 दिन देहरादून स्थित आवास में साथ रहे और कई बार शारीरिक संबंध बनाये। पीडिता द्वारा अभियुक्त से कोर्ट मैरिज करने को कहा गया तो उसने टाल दिया। अभियुक्त 6 अगस्त को दोबारा पीडिता के पास आया और 13 अगस्त को हल्दवानी चला गया और उसके पश्चात अभियुक्त ने पीडिता से बातचीत करना बंद कर दिया।

27– अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–2 पीडिता की पुत्री को परीक्षित कराया गया जिसमें अपने साक्ष्य में अपनी माता के कथनो का समर्थन किया। पी0डब्लू0–4 पीडिता की मकान मालकिन के द्वारा अपने साक्ष्य में इस बात की पुष्टि की कि अभियुक्त पीडिता के साथ उसके मकान पर रहता था। पीडिता की पुत्री और पीडिता की मालिकन द्वारा भी अपने साक्ष्य में मात्र पीडिता और अभियुक्त का विवाह होने का कथन किया है। पीडिता की पुत्री द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनानुसार किस तिथि, माह एवं सन में अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ विवाह किया गया, का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही पीडिता की मकान मालिकन द्वारा पीडिता व अभियुक्त का विवाह मंदिर में होते हुए देखा गया है।

28– जहां तक पीडिता का अभियुक्त के साथ डाट काली मंदिर में मांग भरकर विवाह करने का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो इस बात की पुष्टि करता कि अभियुक्त द्वारा डाट काली मंदिर पर उसकी मांग भरकर

shoneekapoor.com

उससे विवाह किया था। मात्र पीडिता और पीडिता की पुत्री द्वारा मौखिक कथन करना कि अभियुक्त द्वारा पीडिता की मांग भरकर डाट काली मंदिर में विवाह किया गया था पर्याप्त नहीं है। पीडिता द्वारा फेस बुक से लिये गये स्क्रीन शाट की अभियुक्त व पीडिता के फोटोग्रफास पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है जिसमें अभियुक्त व पीडिता साथ में बैठे हुए नजर आ रहे है। पीडिता द्वारा किये गये कथनो के अनुसार पीडिता व अभियुक्त दोनो के पास अपने–अपने मोबाईल थे दोनो एक दूसरे से वीडियो कालिंग करते थे तो यदि अभियुक्त द्वारा डाट काली मंदिर में पीडिता की मांग में सिंदूर भरकर विवाह किया गया था तो उसके फोटोग्राफस अपने मोबाईल में खीचना एक सामान्य सी बात थी। अभियुक्त द्वारा डाट काली मंदिर में पीडिता की मांग भरकर शादी करना एक विशेष मौका था जिसे मोबाईल के माध्यम से सुरक्षित करना भविष्य की यादो के लिए भी एक यादगार पल के रूप में रखना सामान्य सी बात है। सामान्तया यदि कोई व्यक्ति मंदिर में शादी करता है तो मंदिर का पुजारी उक्त शादी को सम्पन्न कराता है। ऐसा कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है कि अभियुक्त द्वारा डाट काली मंदिर में पीडिता की मांग भरकर उसके साथ विवाह सम्पन्न किया गया था।

29– पीडिता द्वारा किये गये कथनानुसार पीडिता का सम्पर्क अभियुक्त से शादी डाट काम पर हुआ था जिसमें अभियुक्त द्वारा स्वयं को अविवाहित दर्शाया गया था, के संबंध में भी ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि अभियुक्त द्वारा शादी डाट काम पर स्वयं को अविवाहित दर्शाया गया हो।

30– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पीडिता, पीडिता की पुत्री एवं पीडिता की मकान मालकिन के द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनानुसार मात्र इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त व पीडिता को आपस में बात करते हुए और साथ में रहते हुए देखा है किन्तु इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं होती है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ डाट काली मंदिर में मांग भरकर विवाह किया गया था। पीडिता बालिग है और 2 बच्चो की मां है तथा अभियुक्त भी बालिग है और एक बच्चे का पिता है। पीडिता और अभियुक्त के मध्य जो भी संबंध है वह स्वेच्छिक है ना कि जबरन।

Additional District & Sessions Judge/
FTSC (POCSO)
Dehradun.

shorekapoor.com

31— जहां तक अभियुक्त का विवाहित होने का प्रश्न है पीडिता द्वारा स्वयं अपने बयानो में कथन किया कि अभियुक्त ने शादी डाट काम पर स्वयं को अविवाहित दर्शित किया था तथा पुनः अपने बयानो में किये गये कथनानुसार—''जब पीडिता ने अभियुक्त की फेसबुक आईडी चैक की तो पता चला कि अभियुक्त पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है और उनकी फोटो फेसबुक पर लगी थी।'' का कथन किया है अर्थात पीडिता फेस बुक को चलाने की जानकार है जब प्रथम बार उसने शादी डाट काम पर अभियुक्त की प्रोफाईल देखी तो उसे जानकारी हुई थी कि अभियुक्त अविवाहित है यदि पीडिता सही तरीके से अभियुक्त की पूर्ण प्रोफाईल देखती तो उसे इस बात की भली भांति जानकारी हो जाती कि अभियुक्त अविवाहित नहीं है और एक बच्चे का पिता है। मात्र यह कह देना कि अभियुक्त ने शादी डाट काम पर अपनी प्रोफाईल में स्वयं को अविवाहित दिखाया था और और पुनः पीडिता के द्वारा ही अभियुक्त की प्रोफाईल चैक करने पर पाया कि वह विवाहित है और एक बच्चे का पिता है जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा अपने बारे में सम्पूर्ण जानकारी शादी डाट काम प्रोफाईल पर विवाहित होने और एक बच्चे का पिता होने के बाबत अंकित की गयी थी किन्तु पीडिता द्वारा आधी आधूरी जानकारी प्राप्त की जिसका कोई लाभ पीडिता को नहीं दिया जा सकता है।

32— जहां तक पीडिता के साथ बलात्कार का प्रश्न है साक्षी पी0डब्लू0—3 डा0 मेघना द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनानुसार उसके द्वारा पीडिता की जांच 20—08—2023 को की गयी थी जिसमें पीडिता के शरीर पर किसी प्रकार की कोई अन्दरूनी व बाहरी चोट नहीं थी। पीडिता का हाईमन पुराना फटा हुआ था। यू पी टी नगेटिव था और स्लाईड में कोई स्मरमेटोजोवा नहीं पाया गया था। अर्थात चिकित्सक की राय में भी पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने का कोई साक्ष्य नहीं था।

33— पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं को अविवाहित दर्शाकर पीडिता के साथ डाट काली में पीडिता की मांग भरकर विवाह किया हो और उसके पश्चात पीडिता के किराये के मकान में कोर्ट मैरिज का आश्वासन देकर उसके साथ

shoneekapoor.com

शारीरिक संबंध बनाये हो। पीडिता और अभियुक्त दोनो बालिग है और दोनो स्वेच्छा से आपसी रिलेशनशिप में थे।

34— अतः साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्षित है कि अभियोजन अभियुक्त विमल थापा के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 युक्तिगत सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त विमल थापा लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विमल थापा को सत्र परीक्षण संख्या 152/2023 में, धारा 376 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त कर उसके जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437—ए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में बंधपत्र व प्रतिभू निष्पादित किए जा चुके है, जो उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त विहित समय तक प्रभावी रहेंगें।

माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो अपील अवधि की समाप्ति पर तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशनुसार निस्तारित होवे।

<u>दिनांकः 09—06—2026</u>

(मँजु सिंह मुंड़े)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो)
देहरादून।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांकः 09—06—2026</u>

(मँजु सिंह मुंड़े)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो)
देहरादून।

shorneekapoor.com

APPENDIX OF EVIDENCE

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

मौखिक साक्ष्य अभियोजन

Rank	Name	Nature of Evidence
पी0डब्लू0–1	पीड़िता	मुख्य साक्षी
पी0डब्लू0–2	पीड़िता की पुत्री	तथ्य की साक्षी
पी0डब्लू0–3	पीडिता की चिकित्सीय परीक्षणकर्ता डाक्टर मेघना असवाल	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
पी0डब्लू0–4	पीडिता की मकान मालिक	तथ्य की साक्षी
पी0डब्लू0–5	कान्स0 प्रवीन गुंसाई	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–6	एस0आई0 मोनिका मनराल	विवेचक

मौखिक साक्ष्य बचाव पक्ष

अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया ।
न्यायालय साक्षी– कोई नहीं ।

दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन

उक्त साक्षीगणों द्वारा निम्नलिखित अभियोजन दस्तावेजों को साबित किया गयाः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1/पी0डब्लू0 1	तहरीर
2.	प्रदर्श पी–2/पी0डब्लू0 1	पीडिता के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान
3.	प्रदर्श–3/पी0डब्लू0 1	धारा 65बी का सर्टिफिकेट
4. 5.	प्रदर्श पी–4/पी0डब्लू0 3 प्रदर्श पी–5/पी0डब्लू0 3	चिकित्सीय रिपोर्ट सपलीमेन्ट्री रिपोर्ट
6. 7.	प्रदर्श पी–6/पी0डब्लू0–5 प्रदर्श पी–7/पी0डब्लू0–5	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी मुकदमा जी0डी0
8.	प्रदर्श पी–8/पी0डब्लू0–6	पीडिता ,के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकित करने का प्रार्थना पत्र
9.	प्रदर्श पी–9/पी0डब्लू0–6	पीडिता ,के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान का अवलोकन करने का प्रार्थना पत्र
10.	प्रदर्श पी–10/पी0डब्लू0–6	नक्शा नजरी
11.	प्रदर्श पी–11/पी0डब्लू0 6	गिरफतारी व सूचना मेमो
10.	प्रदर्श पी–12 पी0 डब्लू0–6	फर्द
11.	प्रदर्श पी–13/पी0डब्लू0–6	आरोप पत्र

दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त

बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श – कोई नहीं।

दिनांकः 09–06–2026

(मँजु सिंह मुंड़े)
अपर जिला एवं सेशन जज/
एफ0टी0एस0सी0(पोक्सो)
देहरादून।

Additional District & Sessions Judge/
FTSC (POCSO)
Dehradun.

shoneekapoor.com